मौत की हक़ीक़त और सांस का कृत्रिम यंत्र

सौलहवां फिक्ही सेमिनार (आज़म गढ) दिनांक 10-13 रबीउल अव्वल 1428 हिजरी, 30 मार्च - 2 अप्रैल 2007 ई॰ को आयोजित हुआ।

.1 जब सांस का आना जाना पूरी तरह बन्द हो जाए और मौत की निशानियां स्पष्ट हो जाएँ तब ही मौत के हो जाने का हुक्म लगाया जाएगा, और उसी समय से मौत से सम्बन्धित वसीयत के लागू होंगे, मीरास के विभाजन और इद्दत का आरंभ हो जाने के आदेश दिए जाऐंगे।

.2 यदि रोगी कृत्रिम सांस के यंत्र पर हो लेकिन डाक्टर उसके जीवन से निराश न हुए हों और आशा हो कि प्राकृतिक तौर पर सांस का आना जाना दोबारा आरंभ हो जाएगा तो रोगी की विरासत के लिए उसी समय मशीन का हटाना सही होगा जब की रोगी की सम्पत्ति से उस उपचार को जारी रखना संभव न हो, न वारिस उन .ख़र्चों को सहन करने की क्षमता रखते हों और न उस इलाज को चलाते रहने के लिए कोई साधन उपलब्ध हो।

.3 यदि रोगी कृत्रिम सांस यंत्र पर हो और डाक्टरों ने रोगी के जीवन और प्राकृतिक रूप से सांस के बहाल होने की व्यवस्था से निराशा व्यक्त कर दी हो तो वारिसों के लिए वैध होगा कि कृत्रिम सांस यंत्र अलग कर दें।

☆☆☆